न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
15 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	08.04.2024	13.06.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राजबक्श सिंह निवासी ग्राम गंगरोली पोस्ट बेगमगंज तह. तरबगंज जिला गोंडा उत्तप्रदेश मैनेजर / नॉमिनी मैसर्स एस.एस. फूड इण्डस्ट्रीज एफ–13 रीको इण्ड. एरिया टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001 मोबाईल नं. 7860367076
2–मैसर्स एस.एस. फूड इण्डस्ट्रीज एफ–13 रीको इण्ड. एरिया टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001

............अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी की ओर से फर्म मालिक श्री राजदीप सिंह उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 13.06.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.08.2023 को समय 12:15 पीएम पर मैसर्स एस.एस. फूड इण्डस्ट्रीज एफ–13 रीको इण्ड. एरिया टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राजबक्श सिंह अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मैनेजर / नॉमिनी होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान के गोदाम में प्लास्टिक के 100 कट्टों में पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 किलोग्राम **आयोडाईज्ड नमक (अन्नपूर्णा फूड पैकेट ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर ... को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह व गवाहान के हस्ताक्षर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **आयोडाईज्ड नमक (अन्नपूर्णा फूड पैकेट ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 8 एवं पैकिंग की दिनांक अगस्त 2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1–1 किलोग्राम के चार 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **आयोडाईज्ड नमक (अन्नपूर्णा फूड पैकेट ब्राण्ड)** 1–1 किलोग्राम के चार 4 मूल पैक के ज्यों का त्यों नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3755 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3755 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राजबक्श सिंह ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/877 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./3432/एक्ट/2023/3400 दिनांक 29.08.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **आयोडाईज्ड नमक (अन्नपूर्णा फूड पैकेट ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से फर्म मालिक श्री राजदीप सिंह उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समस्त मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर सभी आवश्यक जानकारी निर्धारित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

2027

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रारूप में अंकित है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **आयोडाईज्ड नमक (अन्नपूर्णा फूड पैकेट ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **आयोडाईज्ड नमक (अन्नपूर्णा फूड पैकेट ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.06.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

प्रकरण संख्या–15/2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राजबक्श सिंह निवासी ग्राम गंगरोली पोस्ट बेगमगंज तह. तरबगंज जिला गोंडा उत्तप्रदेश मैनेजर/नॉमिनी मैसर्स एस.एस. फूड इण्डस्ट्रीज एफ–13 रीको इण्ड. एरिया टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001 मोबाईल नं. 7860367076
2–मैसर्स एस.एस. फूड इण्डस्ट्रीज एफ–13 रीको इण्ड. एरिया टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

संशोधित निर्णय

दिनांक 19.07.2024

न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण सं. 15/2024 उनवान सरकार बनाम भूपेन्द्र प्रताप सिंह में दिनांक 13.06.2024 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय में खाद्य पदार्थ **आयोडाइज्ड नमक (अन्नपूर्णा फूड पैकेट ब्राण्ड)** के नमूने को सहवन से **अवमानक (Sub-Standard)** होना अंकित किया हुआ है जबकि उक्त नमूना निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट नं. एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए(1031एफ)/2023 दिनांक 14.11.2023 के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है।

अतः न्यायालय हाजा के प्रकरण सं. 15/2024 उनवान सरकार बनाम भूपेन्द्र प्रताप सिंह निर्णय दिनांक 13.06.2024 में अंकित **अवमानक (Sub-Standard)** को **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** पढा जावें। शेष निर्णय यथावत रहेगा। उक्त संशोधन निर्णय दिनांक 13.06.2024 का ही एक भाग माना जावें।

(सुरेश चौधरी)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0